श्रम एवं रोजगार विभाग की वित्त वर्ष 2005–2006 की वार्षिक प्रशासनिक रिर्पोट

अध्याय–1

परिचय

श्रम एवं रोजगार विभाग वर्ष,1972 से एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया है तब से हिमाचल प्रदेश के मित्रतापूर्ण, परिश्रमी एवं आशावादी लोगों की सेवा में दृढ़ संकल्प होकर कार्य कर रहा है।

श्रम एवं रोजगार विभाग में मुख्यतः तीन खण्ड– श्रम,कारखाना एवं रोजगार है। श्रम खण्ड का मुख्य कार्य, श्रम कानूनों, जिनकी संख्या 28(केन्द्रीय एवं राज्य) हैं,का प्रभावी ढंग से लागू किया जाना तथा नियोक्ता एवं श्रमिकों के मध्य शांतिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने में योगदान करना है। औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अर्न्तगत श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतू स्थापित दो श्रम न्यायालय व औद्योगिक अधिकरणों में पूरे समय के लिये दो पीठासीन अधिकारी कार्यरत हैं, जिनका मुख्यालय शिमला व धर्मशाला में स्थित है। कारखाना अधिनियम,1948 के अर्न्तगत मुख्यतः कारखानों का पंजीकरण,नवीनीकरण तथा उनमें कार्यरत कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रावधानों का कार्यन्वयन किया जाता है।

रोजगार शाखा का मुख्य कार्य हिमाचल प्रदेश में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण,मार्गदर्शन तथा सार्वजनिक व निजि क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के लिये नाम सम्प्रेषित

करना एवं मार्गदर्शन इत्यादि मुख्य. हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम,1959 तथा नियम,1960 को लागू करना तथा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत सार्वजनिक/ निजि क्षेत्र के नियोक्ताओं से रोजगार सूचना के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है।

श्रम एवं रोजगार विभाग का सगंठनात्मक ढांचा तथा वर्ष 2005–2006 में इस विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा तथा बजट विवरण इस प्रशासनिक रिर्पोट के अगले भागों में दिया गया है ।

अध्याय–2

श्रम एवं रोजगार विभाग का संगठनात्मक ढांचा

श्रम एवं रोजगार विभाग माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री की देख रेख में कार्य करता है जो इस विभाग के प्रभारी मन्त्री हैं। सरकार स्तर पर सचिवालय में सचिव(श्रम एवं रोजगार) तथा अवर सचिव(श्रम एवं रोजगार) द्वारा सहयोग दिया जाता है ।

श्रम एवं रोजगार विभाग के निदेशालय स्तर पर श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार "विभागाध्यक्ष" के रूप में कार्यरत हैं। निदेशालय स्तर पर विभाग मुख्यतः तीन भागों में विभाजित हैः–

2.1 निदेशालय स्तर पर श्रम खण्ड का कार्य

श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार की देखरेख में संयुक्त श्रमायुक्त एवं उप–श्रमायुक्त तथा श्रम–निरीक्षक (मुख्यालय) द्वारा संचालित किया जाता है । इसके अतिरिक्त कारखाना अधिनियम,1948 के अर्न्तगत श्रमायुक्त "मुख्य कारखाना निरीक्षक" घोषित किये गये हैं तथा संयुक्त– श्रमायुक्त "अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक" घोषित किये गये हैं।

अधीनस्थ कार्यालयों में कारखाना अधिनियम,1948 को कार्यन्वित करने के लिये तीन सहायक निदेशक कारखाना कार्यरत हैं। जिनमें से दो का मुख्यालय शिमला में (दो सहायक निदेशक कारखाना के पदो में से एक पद 1.5.2004 से रिक्त है और इसका कार्यभार मुख्यालय मे कार्यरत सहायक निदेशक कारखाना देख रहें है) तथा एक का मुख्यालय ऊना में स्थित है । इन तीनों का कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार से विभाजित है:–

1. सहायक निदेशक कारखाना–1
   जिला–शिमला,बिलासपुर,मण्डी,कुल्लु,लाहौल एवं स्पिति तथा किन्नौर ।
2. सहायक निदेशक कारखाना–2
   जिला–सोलन एवं सिरमौर
3. सहायक निदेशक कारखाना,ऊना
   जिला–कांगडा,चम्बा, ऊना एवं हमीरपुर।

इसी प्रकार निदेशालय स्तर पर रोजगार से सम्बन्धित कार्य–कलापों के लिये श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार की देख–रेख में उप–निदेशक रोजगार,रोजगार बाजार सूचना अधिकारी,प्रभारी अधिकारी स्थापना (विशेष रोजगार कार्यालय अपंगों हेतु), राज्य व्यवसायिक मार्गदर्शन अधिकारी तथा रोजगार अधिकारी(केन्द्रीय रोजगार कक्ष) आवेदकों को रोजगार सहायता उपलब्ध करवाने तथा व्यवसायिक मार्गदर्शन हेतु सहायता करते हैं।

2.2श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों का विवरण ।

श्रम कानूनों को लागू करने के लिये 5 श्रम अधिकारी तथा 26 श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं । श्रम अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ श्रम निरीक्षकों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

श्रम अधिकारी के कार्यालय का विवरण	सम्बन्धित श्रम अधिकारी के अर्न्तगत श्रम निरीक्षक का विवरण ।
श्रम अधिकारी,शिमला	शिमला–1,शिमला–2,ठियोग और रोहडू ।
श्रम अधिकारी,रामपुर	रामपुर एवं किन्नौर स्थित रिकांग पिओ ।
श्रम अधिकारी,सोलन	सोलन,परवाणु,नाहन,पांवटा,नालागढ,बद्दी और ऊना
श्रम अधिकारी,मण्डी	मण्डी,कुल्लु,जोगिन्द्रनगर,सुन्दरनगर एवं बिलासपुर ।
श्रम अधिकारी,धर्मशाला	धर्मशाला,देहरा,नुरपूर,पालमपुर,चम्बा,डलहौजी एवं हमीरपुर।

श्रम अधिकारियों का कार्यक्षेत्र

1. श्रम अधिकारी,सोलन :

   जिला सिरमौर,जिला ऊना तथा जिला सोलन(उपमण्डल अर्की को छोड़कर) का क्षेत्र आता है।

2. श्रम अधिकारी,शिमला का कार्यक्षेत्रः

   जिला शिमला (उपमण्डल रामपुर को छोड़कर) तथा जिला सोलन का अर्की उपमण्डल।

3. श्रम अधिकारी रामपुर का कार्यक्षेत्रः

   जिला किन्नौर,जिला शिमला का रामपुर उपमण्डल,जिला कुल्लु का आनी उपमण्डल, लाहौल स्पिति का स्पिति उपमण्डल।

4. श्रम अधिकारी,मण्डीः

   जिला बिलासपुर,जिला मण्डी,जिला कुल्लु (आनी उपमण्डल को छोड़कर) तथा लाहौल स्पिति (स्पिति उपमण्डल छोड़कर)।

5. श्रम अधिकारी,धर्मशालाः

जिला कांगड़ा,जिला चम्बा व जिला हमीरपुर।

(ख) कारखाना अधिनियम,1948 के अर्न्तगत प्रदेश को तीन खण्डों में विभाजित किया गया है। इनमें से दो खण्डों का मुख्यालय शिमला में स्थापित है जबकि तीसरे खण्ड का मुख्यालय ऊना में स्थापित है ।

(ग) रोजगार खण्ड में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, 9 जिला रोजगार कार्यालय तथा 55 उप–रोजगार कार्यालय कार्यरत हैं।जिनका विवरण निम्न है :–

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अधीनस्थ कार्यालय का विवरण
1	क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय,शिमला	कुमारसैन,मशोबरा,ठियोग,रामपुर–बुशैहर, रोहडू,जुब्बल,सुन्नी,चौपाल,चिड़गांव, डोडराक्वार तथा कुपवी।
2	क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय,मण्डी	सुन्दरनगर,जोगिन्द्रनगर,करसोग,सरकाघाट, तथा गोहर।
3	क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, धर्मशाला	पालमपुर,ज्वाली,नुरपुर,लम्बागांव,नगरोटा सूरियॉ,बैजनाथ,इन्दौरा,बडोह,देहरा, फतेहपुर एवं डाडासीबा ।
4	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो,शिमला	इस कार्यालय के अधीन कोई कार्यालय नहीं है ।
5	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एव मार्गदर्शन ब्यूरो, कृषि विश्वविद्यालय,पालमपुर	इस कार्यालय के अधीन कोई कार्यालय नहीं है ।
6	जिला रोजगार कार्यालय चम्बा	डलहौजी, भरमौर, पांगी, चुवाड़ी, तीसा, सलूणी स्थित सुन्डला ।
7	जिला रोजगार कार्यालय, हमीरपुर	नदौन,भौरंज, बडसर एवं सुजानपुर।
8	जिला रोजगार कार्यालय, बिलासपुर	घुंमारवी एवं श्री नैना देवी जी
9	जिला रोजगार	बंजार एवं आनी

	कार्यालय,कुल्लु	
10	जिला रोजगार कार्यालय,सोलन	नालागढ,अर्की एवं कसौली
11	जिला रोजगार कार्यालय,सिरमौर स्थित नाहन	पांवटा–साहिव,राजगढ़,शिलाई,संगड़ाह, सराहां एवं कमराऊ
12	जिला रोजगार कार्यालय,लाहौल स्पिति स्थित केलौंग	काजा एवं उदयपुर
13	जिला रोजगार कार्यालय किन्नौर स्थित रिकांग पिओ	पूह एवं निचार
14	जिला रोजगार कार्यालय,ऊना	अम्ब

2.3 वर्ष 2005–2006 में श्रम एवं रोजगार विभाग में अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/ नियुक्ति तथा पदोन्नति का विवरण ।

वर्ष 2005–2006 में श्रम एवं रोजगार विभाग में 3 अधिकारी, 4 तृतीय श्रेणी व 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवानिवृत हुये हैं । सरकार की अनुमति से श्रम न्यायालय एवं औधौगिक अधिकरण में अनुबन्ध आधार पर की गई नियुक्तियांः– चालक 1, चपडासी 1, आशुटंकक 1, लिपिक1, सफाईकर्ता–एवं–चौकीदार1। एक सफाईकर्ता अंशकालिक व पांच अंशकालिक कर्मचारियों को नियमित किया गया।

इसके अतिरिक्त विभाग ने 5 वरिष्ठ सहायक, 2 श्रम निरीक्षक, 1 दफतरी, 5 रोजगार अधिकारी व 4 अधीक्षक ग्रेड–।। को पदोन्नत किया । 11 तृतीय तथा 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रवीणता वेतन वृद्वियां दी गई। विभाग ने 16 कनिष्ठ

सहायक की पद स्थापना की तथा 1 चालक का स्थाईकरण किया गया।

विभाग द्वारा निम्न श्रेणियों की वरिष्ठता सूचियां जारी की गई :—

सांख्यिकीय सहायक,श्रम निरीक्षक,कनिष्ठ सहायक,लिपिक,निजी सहायक,कनिष्ठ आशुलिपिक,आशुटंकक,वरिष्ठ आशुलिपिक,चपडासी,चौकीदार,फ्राश,चालक,सफाईकर्ता।

प्रशासनिक विभाग को निम्न श्रेणियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियम संशोधन के लिए भेजे गए:—

निजी सहायक,आशुटंकक,वरिष्ठ सहायक,सफाईकर्ता,फ्राश,दफतरी,चालक,लिपिक,सांख्यिकीय सहायक,चपड़ासी।

2.4. श्रम एवं रोजगार विभाग में सृजित एवं भरे हुये पदों का ब्यौरा:

श्रम एवं रोजगार विभाग में कुल 381 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 104 पद रिक्त है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार(भा॰प्र॰से॰)	1	—
2	पीठासीन अधिकारी	2	—
3	संयुक्त श्रमायुक्त	1	—
4	उप श्रमायुक्त	1	—
5	उप निदेशक रोजगार	1	—
6	सहायक निदेशक कारखाना	3	1
7	श्रम अधिकारी	5	.
8	विधि सहायक	1	1
9	वरिष्ठ आशुलिपिक	2	—
10	श्रम निरीक्षक	26	4
11	सिलाई अध्यापिका	1	1
12	चालक	5	—
13	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी	8	8

14	जिला रोजगार अधिकारी	10	.
15	रोजगार अधिकारी	10	—
16	अधीक्षक ग्रेड–1	1	—
17	अधीक्षक ग्रेड–11	12	—
18	निजि सहायक	1	—
19	सांख्यकीय सहायक	14	2
20	वरिष्ठ सहायक	55	3
21	कनिष्ठ आशुलिपिक	1	1
22	आशुटंकक	4	1
23	कनिष्ठ सहायक/लिपिक	118	42
24	दफ्तरी	4	—
25	कम्पयूटर आप्रेटर	1	1 पद दैनिक भोगी से भरा गया है।
26	चैकीदार	12	2
27	चपड़ासी	75	36
28	सफाई कर्मचारी	5	1
29	फ्राश	1	—
	जोड़	381	104

अध्याय–3:

श्रम तथा श्रम कल्याण

श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों को सुविधा के लिये दो खण्डों में विभाजित किया गया है। श्रम खण्ड में श्रमिकों के कल्याण और रोजगार खण्ड में रोजगार कार्यालयों की गतिविधियां हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

श्रम खण्ड

हिमाचल प्रदेश में श्रम खण्ड का कार्य 28 श्रम अधिनियमों को प्रदेश में लागू करना है । औद्योगिक शान्ति बनाये रखना,मालिकों एवं कामगारों के बीच औद्योागिक शान्ति बनाये रखने के लिए उचित परामर्श देने की भूमिका निभाना है । इसके अतिरिक्ति श्रम खण्ड का मुख्य कार्य संस्थानों में

न्यूनतम मजदूरी को लागू करना है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में श्रम खण्ड का कारखाना–शाखा कारखानों में दुर्घटनायें रोकने ओर सुरक्षा उपायों को लागू करने बारे भी आवश्यक भूमिका निभाता है ।

औद्योगिक सम्बन्ध तथा सामान्य श्रम स्थिति

औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या वर्तमान में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुकी है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि तब तक पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है जब तक मालिकों और श्रमिकों में सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध न हों। समझौता व्यवस्था औद्योगिक विवादों को रोकने तथा निपटाने में और औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुई है। 4 जिला मुख्यालयों पर स्थित श्रम अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है । इसके अतिरिक्त श्रम अधिकारी(परियोजना) रामपुर बुशैहर को भी अपने क्षेत्र के लिये समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है । प्रदेश के अन्य जिलों में जहां श्रम अधिकारी के पद सृजित नहीं है वहाँ पर जिला रोजगार अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जहाँ पर कामगारों की संख्या 200 या उससे कम हो, श्रम निरीक्षक भी बतौर समझौता अधिकारी औद्योगिक विवादों को निपटाने का कार्य करते हैं। जहां पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों का समझौता न हो पाये, वहाँ पर श्रम अधिकारी, उप श्रमायुक्त/संयुक्त श्रमायुक्त और श्रमायुक्त विवादों को निपटाने में हस्ताक्षेप करते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की धारा 3,जहां पर 100 या इससे अधिक कामगार हों संस्थानों द्वारा वर्कर्स कमेटी का गठन किया है। ये वर्कर्स कमेटियॉं भी औद्योगिक शान्ति बनाने में काफी सहायक सिद्ध होती है। इन कमेटियों में प्रबन्धकों और

कामगारों के प्रतिनिधि भी होते हैं । सामान्यतः वर्ष 2005–2006 में हिमाचल प्रदेश की श्रम स्थिति संतोषजनक रही है ।

31.3.2006 तक श्रम खण्ड में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत कुल पंजीकृत संस्थानों की संख्या और उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	कामगारों की संख्या
1.	कारखाना अधिनियम,1948	2529	1,15,010
2.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज अधिनियम,1961	109	6769
3.	ट्रेड यूनियनज अधिनियम,1926	1041	—
4	प्लान्टेशन अधिनियम,1951	22	429
5	बोनस भुगतान अधिनियम,1965	1164	106948
6	प्रसुति अधिनियम,1961	128	1047
7	अर्न्तराज्य प्रवासी कामगार अधिनियम,1979 (क)प्रमुख नियोक्ता	78	9995
	(ख)ठेकेदार	138	9995
8	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 (क)प्रमुख नियोक्ता (ख)ठेकेदार	472 2663	87697 87697
9	म्नीसाना वेज बोर्ड	22	117
10	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना)1948	1650	60,000
11	उपादान भुगतान अधिनियम,1972	1805	80675
12	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952	4896	1,74,645

न्यूनतम वेतन

न्यूनतम वेतन निर्धारण व पुर्ननिर्धारण,न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अर्न्तगत होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सितम्बर,2003 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का उक्त अधिनियम के अर्न्तगत पुर्नगठन किया था । इसका उदेश्य सरकार को विभिन्न व्यवसायों में न्यूनतम वेतन की दरों में निर्धारण एवं संशोधन करने में परामर्श देना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के परामर्श के पश्चात समस्त अनुसूचित व्यवसायों मे अकुशल श्रमिकों के वेतन की न्यूनतम दंर 70/–रू॰ प्रतिदिन या रू॰2100/– प्रतिमाह 15 अगस्त 2005 से निर्धारित की है जो कि पिछले न्यूनतम वेतन से 7.7 प्रतिशत अधिक है। अर्ध कुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कामगारों के वेतन में भी (समान अनुपात) से बढ़ोतरी की गई है जो कि दिनांक 15.8.2005 से लागू की गई है, जिन अनूसूचित व्यवसायों में बढ़ोतरी की गई है वे निम्न प्रकार से हैं:–

1. कृषि
2. सड़क तथा भवन निर्माण पत्थर पिसाई कशिंग/पत्थर तुड़ान
3. फौरेस्टरी एवं टिम्बरिंग आप्रेशन
4. पब्लिक मोटर ट्रासंपोर्ट
5. दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के व्यवसाय
6. कैमिकल्ज तथा कैमिक्ल्ज प्रोडक्शन
7. इंजिनियरिंग उद्योग
8. चाय बागान
9 विनिर्माण क्रिया में नियोजन जो कि कारखाना अधिनियम,1948 की धारा–2 के खण्ड(क)में परिभाषित
10 होटल/रेस्तरा
11 निजि शैक्षणिक संस्थान

इसके अतिरिक्त सुरंग के अन्दर कार्य करने वाले मजदूरों के लिये उक्त दरों के उपर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दी गई है । जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों को उक्त दरों के उपर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी दी गई है। महिला और पुरूष कामगारों को समान कार्य के लिये (व्यस्क या अव्यस्क)एक समान वेतन निर्धारण किया गया है।

न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने श्रम खण्ड के अधिकारियों एवं निरीक्षकों के अतिरिक्त समस्त तहसीलदारों (महाल) एवं जिला रोजगार अधिकारियों को "निरीक्षक" नियुक्त किया है तथा अपने अपने क्षेत्रों में सभी उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) को इस अधिनियम के अर्न्तगत प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि वे न्यूनतम वेतन सम्बन्धी वेतन दावा का निपटारा कर सकें ।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भिन्न–भिन्न श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये निम्नलिखित बोर्ड और समितियॉ गठित की हैं:–

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बोर्ड / समिति का नाम	गठन का उद्देश्य
1	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन / निर्धारण बारे सरकार को परामर्श देना
2	समान परिश्रमिक अधिनियम,1976	सलाहकार समिति	स्त्रियों को रोजगार अवसरों तथा लिंग के आधार पर वेतन विसंगतियों को दूर करने

			बारे सरकार को परामर्श देना
3	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970	राज्य सलाहकार श्रम ठेका बोर्ड	ठेकेदारी वर्ग पद्धति पर जहाँ पर सम्भव हो सके, रोक लगाना सम्भव न हो, इस प्रथा का विनयम करना और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिर्शें सरकार को देना
4	श्रम ठेका(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1970	राज्य ठेका सलाहकार समिति	समिति द्वारा ठेका उन्मूलन बारे जांच पड़ताल करना तथा इस सम्बन्ध में ठेका सलाहकार बोर्ड को अपनी सिफारिशें देना।
5	(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना) 1948	क्षेत्रीय बोर्ड ई• एस• आई•	कर्मचारी बीमा एवं स्वास्थ्य/ पैन्शन योजनाओं को प्रदेश में कार्यन्वयन एवं विस्तार सम्बन्धि कार्य करना । क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा बोर्ड का गठन हिमाचल प्रदेश में ई• एस• आई• स्कीम को सही रूप से लागू करने के उद्वेश्य से किया गया है ताकि कामगारों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
	(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम(योजना)1948	स्थानीय समितियॉ	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का सुचारू रूप में संचालन तथा कार्यन्यवन एवं विस्तार सम्बन्धित कार्य करना।
6	क्र्मचारी भविष्य निधि	क्षेत्रीय समिति	कर्मचारी भविष्य निधि

	अधिनियम,1952	ई० पी० एफ० हिमाचल प्रदेच	स्कीम का सुचारू रूप में संचालन तथा कार्यन्यवन एवं विस्तार करने के लिये कार्यवाही करना ।
7	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	क्षेत्रीय सलाहकार समिति	कामगारो को शिक्षा देने बारे ।
8	बन्धुआ मजदूर(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1976	राज्य स्तरीय पड़ताल समिति(बन्धुआ मजदूरी)	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना उन्मूलन/पुर्नवास सम्बन्धित कार्यवाही ।
9	बन्धुआ मजदूर(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1976	जिला तथा सभी उप मण्डल स्तरों पर सर्तकता समितियॉ	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना उन्मूलन/पुर्नवास सम्बन्धित कार्यवाही ।

10 परियोजनाओं में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये गठित बोर्ड/ समितियाँ

(क) राज्य स्तरीय त्रिपक्षीय बोर्ड	औद्योगिक शान्ति को सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्धकों व कामगारों में समन्वय स्थापित करना।
(ख) परियोजना स्तर पर त्रिपक्षीय समितियों का परियोजनाओं के लिये गठन	उक्त समिति विभिन्न परियोजनाओं के कामगारों की समस्याओं पर ध्यान देगी तथा परियोजनाओं के नियन्त्रण पर नजर रखेगी तथा इनकों पूरा करवाना सुनिशचित करेगी ।
(ग) त्रिपक्षीय राज्य स्तरीय समिति	श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों/ विवरणियों के सरलीकरण तथा कमी की जाने बारे ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम,1948

यह अधिनियम योजना में लाये गये कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी में निशुल्कः चिकित्सा और प्रसुति तथा व्यवसाय के कारण अपंगता व मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है ।यह अधिनियम साल भर चलने वाले उद्योगों, जहां पर 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तथा बिजली का प्रयोग हो,पर लागू है। यह खानों तथा रेलवे शैडों में लागू नहीं होता । जिन श्रमिकों का मासिक वेतन 7500/– रूपये से अधिक है वह इसके अर्न्तगत नहीं आते हैं। यह योजना कर्मचारियों व मालिकों के योगदान से चलाई जाती है तथा कुल व्यय का 1/8 भाग प्रदेश सरकार देती है ।यह योजना जिला सोलन (1) सोलन (2) बरोटीवाला (3)बद्दी (4) परवाणु (5) नालागढ, जिला सिरमौर (1) पांवटा साहिव (2) काला अम्ब, जिला ऊनाः–(1) मैहतपुर तथा जिला शिमलाः–(1) शिमला नगर निगम क्षेत्र, में लागू है । श्रमिकों के लिये मैहतपुर ,बरोटीवाला,सोलन और बद्दी में डिस्पैन्सरियों के अतिरिक्त परवाणू में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल भी कार्य कर रहा है । इसके साथ क्षेत्रीय निदेशक ई॰एस॰आई के कार्यालय ने भी परवाणू में (ई॰एस॰आई कौम्पलैक्स) कार्य करना शुरु कर दिया है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952

क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय,शिमला में स्थित है ।इस योजना के अर्न्तगत कारखाने तथा संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा आवश्यक भविष्य निधि में अंशदान का प्रावधान करता है। यह अधिनियम उन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से लागू है, जिन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कामगारों की संख्या 20 या इससे अधिक है। इस समय इस योजना के अर्न्तगत 4896 संस्थानों में 1,74,645 कर्मचारियों को लाया जा चुका है ।

कामगारों के लिये शिक्षा योजना

संचालित कामगारों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये केन्द्रीय संचालित योजना के अधीन शिक्षित किया जाता है । कामगारों को शिक्षित करके दोहरे लाभ की आशा की जा सकती है।एक तो इससे कार्यकुशलता व उत्पादन को बढ़ावा मिलता है तथा साथ ही यह शिक्षा दी जाती है कि वे कामगार संगठनों में अपनी भलाई के लिये कारगर रूप में इस तरह से काम करें कि उनको अधिकतम लाभ हो । हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कामगारों को शिक्षा देने का कार्य क्षेत्रीय निदेशक, कामगार शिक्षा बोर्ड, परवाणु द्वारा किया जाता है । श्रमायुक्त इसके अध्यक्ष हैं ।

बन्धुआ मजदूरों के पुर्नवास के लिये योजना बनाना

बन्धुआ मजदूरों के पुर्नवास के लिये योजना बनाई गई है। यद्यपि प्रदेश के किसी भी जिले में अभी तक बन्धुआ मजदूर का कोई भी मामला नहीं पाया गया है। बन्धुआ मजदूरों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनकी जांच करवाई गई लेकिन ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया जो बन्धुआ मजदूर की परिभाषा में आता हो ।

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अर्न्तगत औद्योगिक विवादों का न्यायिक निर्णय करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण स्थापित कियें है। एक श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण शिमला में स्थापित है जिसका कार्यक्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर, सोलन, सिरमौर तथा लाहौल स्पिती का काजा उप–मण्डल है तथा दूसरा श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण धर्मशाला इस वर्ष स्थापित किया गया है जिसका कार्यक्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, ऊना,

हमीरपुर,बिलासपुर,मण्डी कुल्लु तथा लाहौल स्पिति का लाहौल भाग है। उक्त न्यायालय ने धर्मशाला में कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इस श्रम न्यायालय में भी शिमला में स्थापित श्रम न्यायालय के बराबर अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं। इन न्यायालयों में औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जिला एवं सत्र न्यायधीश के पद के बराबर श्रम अदालत औधोगिक न्याय अधिकरण के एक एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं । इन न्यायालयों में निम्न अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं:–

क्रमांक	पदनाम	संख्या
1	पीठासीन अधिकारी	2
2	वरिष्ठ आशुलिपिक	2
3	वरिष्ठ सहायक–कम–रीडर	4
4	अहलमद	2
5	चालक	2
6	दफतरी	2
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2

इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 की धारा 33(सी)(2) के अधीन भुगतान दावे बारे आवेदन पत्र सीधे तौर से श्रम न्यायालयों का दिये जा सकते हैं।

इन न्यायालयों की स्थापना मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के तहत की गई है। मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को सरकार इन न्यायालयों/अधिकरणों

को भेजती है। इसके अतिरिक्त, कामगार अवार्ड,समझौता और भुगतान प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र सीधेतौर पर दाखिल किये जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में श्रम न्यायालयों को औद्योगिक अधिकरण की शक्तियां दी गई हैं जबकि अन्य राज्यों में श्रम न्यायालय और औद्योगिक अधिकरण अलग–अलग हैं।श्रम न्यायालय/ औद्योगिक अधिकरण,कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत भी कार्य कर रहे हैं।

ये न्यायलय हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं तहसीलों में जाकर प्रदेश के मजदूरों को न्याय प्रदान करते हैं क्योंकि मजदूर दूर–दराज के क्षेत्रों में अपने मुकदमों की पैरवी के लिये शिमला/धर्मशाला नहीं आ सकते हैं । सरकार श्रम कानूनों को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है ताकि मजदूरों को न्याय मिल सके । ये न्यायालय मजदूरों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं ।

1.4.2005 से 31.3.2006 तक श्रम न्यायालयों द्वारा किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	विवरण	सन्दर्भ	आवेदन	जोड़
1	1.4.2005 को लम्बित मामले	1174	938	2112
2	1.4.2005 से 31.3.2006 तक प्राप्त मामले	344	335	679
3	31.3.2005 को कुल मामले	1518	1273	2791
4	1.4.2005 से 31.3.2006 तक निपटाये गये मामले	468	595	1063
5	31.3.2006 को लम्बित मामले	1050	678	1728

भवन एवं अन्य निर्माण कामगारो(रैगूलेशन आफ एम्पलायमैंट एण्ड कन्डिशन आफ सर्विस) एक्ट,1996

भवन व अन्य निर्माण गतिविधियों में कार्यरत मजदूरों के असुरक्षित खण्ड के कल्याण हेतू सरकार ने राज्य में भवन एवं अन्य निर्माण कामगार सेवा विनिमय व सेवा शर्तें अधिनियम,1996 अपनाने हेतु कार्य किया है। सरकार ने राज्य नियम बनाने सम्बन्धी सलाह प्रदान करने हेतू विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और तत्पश्चात नियम,2004 का प्रारूप विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। इस अधिनियम के अर्न्तगत निर्माण मजदूरों को वृद्वावस्था पैंशन, आवास हेतू वित्तीय लाभ, मातृत्व लाभ,बच्चों की शिक्षा हेतू प्रोत्साहन आदि कल्याण योजनाओं के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी और इससे प्रदेश का कार्य सक्षम होगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में निर्माण मजदूर,जल विद्युत परियोजनाओं और अन्य निर्माण गतिविधियों में कार्यरत है ।

सांख्यकीय रचनायें

श्रम खण्ड की 31.3.2006 तक की उपलब्धियों/ कार्यो का ब्योरा नीचे दी गई तालिकों पर वर्णित है ।

विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों की उल्लंघना पाये जाने पर विभाग द्वारा सम्बन्धित न्यायिक मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में चालान दायर किये गये जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:—

तालिका–1

क्रमांक	अधिनियम का नाम	31.3.2006 तक किये गये निरीक्षण की संख्या	न्यायलय में दायर किये गये चालानों की संख्या	न्यायलय द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	जुर्माने की राशि
1	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969				
		6340	2232	1461	665820.00
2	वेतन भुगतान अधिनियम,1936				
		2398	47	25	23700.00
3	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948				
		3028	199	148	126900.00
4	कारखाना अधिनियम,1948				
		840	27	11	31500.00
5	मोटर टांसपोर्ट वर्करज अधिनियम,1961				
		71	8	7	2700.00
6	श्रम ठेका(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1970				
		803	151	60	53700.00
7	समान वेतन अधिनियम,1976				
		169	.	1	20000.00
8	उपादान भुगतान अधिनियम,1972				
		438	5	1	10000.00
9	बोनस भुगतान अधिनियम,1965				
		526	11	.	.
10	प्रसूति लाभ अधिनियम,1961				
		218	1	.	.
11	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक संस्थान(राष्ट्रीय आक्स्मिक एवं बीमारी अवकाश) अधिनियम,1969				
		684	3	2	500.00
12	चाय बागान अधिनियम,1951				
		7	.	.	.

13	अर्न्तराज्य प्रवासी सेवा कर्मकार अधिनियम,1979				
		241	50	31	31800.00
14	बाल श्रमिक (निषेद्ध) अधिनियम,1986				
		380	—	—	—
15	औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947				
	.....	5	—	—	—

तालिका–2

क्रमांक	अधिनियम का नाम	31.3.2006 तक पंजीकृत नियोक्ताआ की संख्या	कामगारों की संख्या	31.3.2006 तक लाईसैन्स प्राप्त ठेकेदारों की संख्या	कामगारों की संख्या
1	श्रम ठेका(विनियम एवं उन्मूलन)अधिनियम,1970				
		472	87697	2663	87697
2	अर्न्तराज्य प्रवासी कामगार(रोजगार) विनियम एवं सेवा चर्ते अधिनियम,1979				
		78	9995	138	9995

तालिका–3

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पिछले अनिर्णित मामले	31.3.2006 तक प्राप्त मामले	कुल	31.3.2006 तक निर्णित मामलों की संख्या	31.3.2006 को अनिर्णित मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जिनकी ऐपीलेंट आथोर्टि के पास अपील
1	उपादन अदायगी अधिनियम,1972						
		16	29	45	18	27	2

तालिका–4

क्रमांक	अधिनियम का नाम	31.3.2005 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या	1.4.2005 से 31.3.2006 तक प्राप्त मांग पत्रों की संख्या	कुल मांग पत्रों की संख्या	समझोते के दौरान धारा 12(3)के तहत निपटाये गये	असफल मामलों की संख्या जो 12(4) के अधीन भेजे गये	31 मार्च 2006को लम्बित मांग पत्र	उद्योगों की संख्या	कामगारों की संख्या
1	औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947								
		447	831	1278	289	598	391	414	1314

तालिक–5

क्रमांक	अधिनियम का नाम	अधिनियम के तहत आने वाले संस्थानों की संख्या
1	औद्योगिक रोजगार(स्टैंडिंग आर्रडरज) अधिनियम,1946	
	अधिनियम के तहत आने वाले संस्थान 583	स्टैंडिंग आर्रडरज जिन्हें प्रमाणित करवा लिया गया है। 164

तालिक–6

क्रमांक	अधिनिय	अधिनियम के	31.3.2006	कामगारों की	31.3.2006 के अन्त	कामगारों	कुल संस्था	कुल कामगा

	म का नाम	अधीन बाजारों की सख्या	के अन्त में दुकानों की संख्या	संख्या	में वाणिज्य संस्थानों की संख्या	की संख्या	नों की संख्या	रों की संख्या
1	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969							
		69	41770	15677	14698	16490	56468	32167

तालिका–7

क्रमांक	अधिनियम का नाम	31.3.2005 को लम्बित शिकायतों की संख्या	1.4.2005 से 31.3.2006 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	योग	श्रम निरीक्षकों द्वारा निर्णित शिकायतों की संख्या	श्रम निरीक्षकों द्वारा दिलाई गई धनराशि	सम्बन्धित कामगारों की संख्या	31.3.2006 को अनिर्णत मामलों की संख्या
1	वेतन भुगतान अधिनियम,1936							
		286	875	1161	657	3773734.00	1359	218
2	हि0प्र० दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969							
		2	17	19	17	20467.00	21	2
3.	हि०प्र०लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों का विनियम							
		27	72	99	58	2187371.00	352	41
4	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948							
		6	48	54	17	37586.00	32	37

तलिका–8

कारखाना अधिनियम,1948 के अन्तर्गत दिनांक 1.4.2005 से 31.3.2006 तक किये गये कार्य का विवरण

31.3.2005 तक पंजीकृत कारखानों की संख्या	1.4.2005 से 31.3.2006 तक पंजीकृत नये कारखानों की संख्या	31.3.2006 को कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या	1.4.2005 से 31.3.2006 तक पंजीकरण प्रमाण पत्रों के नवीकरण की संख्या
2319	210	2529	1508

अध्याय–4

रोजगार खण्ड

निदेशालय स्तर पर उप निदेशक(रोजगार),रोजगार बाजार सूचना अधिकारी,रोजगार अधिकारी(केन्द्रीय रोजगार कक्ष),प्रभारी अधिकारी(स्थापना)विशेष रोजगार कार्यालय(अपंगों हेतु) तथा राज्य व्यावसायिक मार्गदर्शन अधिकारी, आवेदकों को रोजगार सहायता व सूचना उपलब्ध करवाने तथा इस बारे मार्गदर्शन देने की भूमिका में सन्तोषजनक उपलब्धियॉं प्राप्त करते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय,9 जिला रोजगार कार्यालय,2 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, 55 उप रोजगार कार्यालय,विक्लांगों के लिए एक विशेष रोजगार कार्यालय, एक केन्द्रीय रोजगार कक्ष निदेशालय में तथा मण्डी,शिमला व धर्मशाला में व्यवसायिक मार्गदर्शन इकाईयां, पूरे प्रदेश में आवेदकों तथा नियोक्ताओं की सेवा में कार्यरत हैं ।

हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 में किए गए कार्य का वर्ष 2005–2006 से तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्रमांक संख्या	मद	2004–2005	2005–2006
1	पंजीकरण	1,35,987	1,69,623
2	अधिसूचित रिक्तियॉं	3,108	4,674
3	सम्प्रेषण	1,08,267	1,38,092
4	सेवा नियोजन	1,457	सरकारी 478, निजी क्षेत्र 4285
5	सजीव पंजिका	8,80,094	8,16,878

1.4.2005 से 31.3.2006 तक जिलावार रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र•स•	जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्तियॉ	सम्प्रेषण	सेवा नियोजन	सजीव पंजीका(पंजीकृत आवेदका की संख्या)	
					सरकारी क्षेत्र	निजि क्षेत्र	
1	बिलासपुर	10481	77	12764	57	210	61988
2	वम्बा	10284	279	12591	25	384	45150
3	हमीरपुर	15386	73	11352	29	701	66650
4	कांगड़ा	42497	413	22932	58	720	157000
5	किन्नौर	2374	494	2900	5	.	8586
6	कुल्लू	7989	131	4011	11	60	48609
7	लाहौल स्पिति	909	2	209	.	.	4298
8	मण्डी	27555	285	19594	45	117	134885
9	शिमला	16815	1025	13439	61	330	131577
10	सिरमौर	11901	569	8065	101	930	49354
11	सोलन	10510	1014	18039	31	285	48118
12	ऊना	12922	312	12196	55	540	60663
	जोड़	169623	4674	138092	478	4285	816878

उक्त आंकड़े उप रोजगार कार्यालय काजा के 9/2005 तक के है।

शिक्षाबार विभाजन

स्नातकोत्तर	37999
स्नातक	91376
दसवीं व उपर स्नातक से कम	537514
दसवीं से कम पढे लिखे	145498
अनपढ	4491
कुल योग	816878

सजीव पंजीका का जाति वार विभाजन

अनुसूचित जाति	177284
अनुसूचित जन जाति	29220
ओ॰बी॰सी॰	48339
अन्य	562035
कुल योग	816878

स्त्री/ पुरूष विभाजन

पुरूष	507691
स्त्री	309187
जोड़	816878

शहरी ग्रामीण विभाजन

शहरी	79156
ग्रामीण	737722
जोड़	816878

इंजीनियर

क्र०	मद	सिविल	इलैक्ट्रीकल	मकैनिकल
1	डिग्री होल्डर	629	535	442
2	डिप्लोमा होल्डर	1836	1645	1081
3	सर्टिफिकेट होल्डर(आई.टी. आई.)		40013	—

श्रम एवं रोजगार निदेशालय में स्थापित विशेष रोजगार कार्यालय(अंपगों हेतु)वर्ष,2005–2006 में किये गये कार्यकलापों का विवरणः

सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोजगार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी(स्थापना) के अधीन वर्ष,1976 में विशेष रोजगार कार्यालय(अपंगों हेतु) की स्थापना की गई है इसके अतिरिक्त विशेष कक्ष(अपंगों हेतु) धर्मशाला में 1983 से कार्यरत है । यह कक्ष अपंग आवेदकों को व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलवाने में सहायता प्रदान करता है।

समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधाएं/ रियायतें दी गई है जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा निशुल्क स्वास्थय परीक्षा, उपरी आयु–सीमा में 5 वर्ष की छूट, उपरी अंगों की(हाथ तथा बाजु) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट, तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में 3 प्रतिशत का आरक्षण, आरक्षित रिक्तियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अपंग तथा उसके अनुरक्षकों को यात्रा–भत्ता देने का प्रावधान, केवल महिलाओं के लिए खोले गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(गर्ल्ज आई०टी०आई०),सिलाई तथा कटाई केन्द्र (टेलरिंग सैन्टर) में 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण तथा 200 रोस्टर प्वांइट में आरक्षण का निर्धारण जो कि 30वां, 73वां, 97वां, 130वां, 173वां व 197वां दृष्टि दोष अपंग,श्रवण एवं वाक अपंग तथा अस्थि अपंग व्यक्तियों के लिए किया जाता है ।व्यक्ति जिनमें अक्षमताएं है, अधिनियम,1995 के तहत नियोक्ताओं के अभिलेख, रोस्टर प्वाईट को चैक करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

1.4.2005 से 31.3.2006 तक 815 अपंग व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया जिसके साथ सजीव पंजिका पर रोजगार सहायता प्राप्त करने हेतु अपंग आवेदकों की संख्या 11814 हो गई है, 5 अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति हुई। 37 अपगों के लिये

आरक्षित रिक्तियॉ अधिसूचित हुई हैं जिसके प्रति 259 अपंग प्रत्याशियों के नाम सम्प्रेषित किए गए हैं।

व्यवसायिक मार्गदर्शन संगठन तथा रोजगार परामर्श:

श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीन इस समय चार व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से एक निदेशालय में स्थित राज्य व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र तथा शेष तीन केन्द्र, क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, शिमला, मण्डी व धर्मशाला में स्थित हैं । इसके अतिरिक्त दो विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, पालमपुर व शिमला में स्थित हैं। इन केन्द्रों द्वारा रोजगार के सन्दर्भ में आवेदकों को उचित व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

दिनांक 1.4.2005 से 31.3.2006 तक इन व्यावसायिक केन्द्रो तथा अधीनस्थ रोजगार कार्यालयों द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन से सम्बन्धित निम्न कार्य किये गये:—

1	जिन व्यक्तियों को व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया गया	42,513
2	जिन व्यक्तियों ने पंजीकरण के समय व्यावसायिक मार्गदर्शन प्राप्त किया	1,69,623
3	जितने व्यक्तियों ने सामूहिक वार्तालाप में भाग लिया	8,268
4	विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में जितने मार्गदर्शन दिये गये	54
5	जिन व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रुप से सूचना प्राप्त की	10,961
6	चालू रजिस्टर में जितने पुराने केसों का पुर्वालोकन किया	39,579
7	जितने व्यक्ति व्यावसायिक सूचनाकक्ष में आये	4,448

4.5 केन्द्रीय रोजगार कक्ष की गतिविधियॉं:

हिमाचल प्रदेश के निजि क्षेत्र में लगी एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों,संस्थानों के लिए तकनीकी तथा उच्च कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में निदेशालय में स्थित केन्द्रीय रोजगार कक्ष हमेशा की तरह वर्ष 2005–06 में भी अपनी सेवाएं अर्पित करता रहा है। इस प्रकार रोजगार सेवा की एक विशेष सुविधा रोजगार प्राप्ति हेतु तथा इस क्षेत्र के नियोक्ताओं को योग्य एवं प्रशिक्षित कामगार निशुल्क एवं समयानुसार उपलब्ध करवाने में सहायता करता रहा है । केन्द्रीय रोजगार कक्ष के कार्यकलापों का लेखा जोखा निम्न प्रकार से है :–

1.सजीव पंजिका:

रोजगार कार्यालयों से प्राप्त अनुलिपि कार्डों के आधार पर 31.3.2006 तक 20,300 तकनीकी तथा उच्च कुशल वर्ग के आवेदक कक्ष की सजीव पंजिका पर उपलब्ध हैं ।

2.रिक्तियों की अधिसूचना:

1–4–2005 से 31.3.2006 तक निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की कुल 3141 रिक्तियाँ अधिसूचित की गई।

3. आवेदकों का सम्प्रेषण:

1–4–2005 से 31.3.2006 तक प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को 15634 तकनीकी तथा उच्च कुशल वर्ग के आवेदक केन्द्रीय रोजगार कक्ष द्वारा सम्प्रेषित किये गये ।

4. नियोजन:

1–4–2005 से 31.3.2006 तक प्रदेश के निजि क्षेत्र की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में कुल 257 रोजगार के इच्छुक तकनीकी तथा उच्च कुशल वर्ग के आवेदकों को केन्द्रीय रोजगार कक्ष के माध्यम से लगवाया गया ।

विदेशी रोजगार एवं जनशक्ति निर्यात ब्यूरोः

हिमाचल प्रदेश के विशेषकर कुशल,अर्ध कुशल,एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त इच्छुक प्रार्थियों को विदेश में रोजगार के अवसर जुटाने के दृष्टिगत तथा उन्हे पासपोर्ट, विजा एवं उत्प्रवासी अधिनियम व विनियम के बारे जानकारी उपलब्ध करवाने के उदेश्य से श्रम एवं रोजगार विभाग में वर्ष,1994 में(फोरेन इम्पलौयमेंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो)की स्थापना की गई है । यह ब्यूरो उत्प्रवासी अधिनियम के अर्न्तगत महासंरक्षी उत्त्प्रवासी,श्रम मन्त्रालय,भारत सरकार,नई दिल्ली, द्वारा जनशक्ति निर्यात किए जाने के उदेश्य हेतु पंजीकृत है । इसमें 1705 उम्मीदवारों के नाम पंजीकृत हैं ।

रोजगार बाजार सूचना कार्यकम

रोजगार बाजार सूचना कार्यकम के अर्न्तगत रोजगार कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की रोजगार से सम्बन्धित सूचना नियमित रुप से एकत्रित करते हैं। रोजगार सूचना कार्यकम के अर्न्तगत प्रदेश में जिला स्तर पर रोजगार के आंकडे वर्ष 1960 से एकत्रित किए जा रहे हैं। यह कार्यकम भारतीय व्यवस्था के संगठित क्षेत्र को ही व्यक्त करता है, जो कि अन्य बातों के साथ– साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों व निजी क्षेत्रों के उन नियोक्ताओं जिनके पास 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और कृषि कार्यकम से सम्बन्धित नहीं हैं,उनसे यह सूचना ऐच्छिक आधार पर एकत्रित की जाती है।ये आंकडे रोजगार कार्यालय(रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अर्न्तगत नियम, 1960 के तहत एकत्रित किए जाते हैं। रोजगार के आंकडे निजी क्षेत्र के छोटे प्रतिष्ठानों, जिनके पास 10 से 24 कर्मचारी कार्यरत हैं से इस विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा

रहा है, कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजी क्षेत्र की इकाईयों में अधिक से अधिक हिमाचली युवाओं को रोजगार प्राप्त हो। रोजगार कार्यालय द्वारा निजी क्षेत्र की विशेषकर नई इकाईयों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है व उन्हें रोजगार कार्यालय(रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अर्न्तगत, अनिवार्य रूप से रिक्तियों को अधिसूचित करने बारे सूचित किया जाता है। इस संदर्भ में समय–समय पर ऐसी इकाईयों का निरिक्षण भी किया जाता है। इस अवधि में इस प्रकार के कुल 159 निरिक्षण किए गए हैं

रोजगार कार्यालय(रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 की उल्लंघनां के लिए विभिन्न पन विद्युत परियोजना जिनमें जिला कुल्लू में एन.एच.पी.सी. पावर्तीचरण–।। 1800 मैगावाट के निर्माण कर रही ठेकेदार कम्पनियों ⁄कमशः मै0 गैमन ईण्डिया लि0, कुल्लू मै0 हिमाचल ज्वाईण्ट वैन्चर, कुल्लू एवं पटेल ईंजिनियरिंग कुल्लू के विरुद्व विभाग ने वर्ष 2005–06 में अभियोजन की स्वीकृति दी गई जिसमें सम्बन्धित माननीय मुख्य न्यायायिक–दण्डाधिकारी, न्यायालय कुल्लू द्वारा प्रत्येक कम्पनी को 500/– रु0 जुर्माना किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2005–06 में रोजगार कार्यालय।रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना। अधिनियम, 1959 मै0 किमिका ऐग्रो फूडस् लि0 उना, जिला उना,हि0प्र0 को भी निदेशालय द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दी गई है, जो सम्बन्धित न्यायालय में विचाराधीन है।

रोजगार कार्यालय रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना। अधिनियम, 1959 तथा अन्य श्रम कानूनों के अर्न्तगत प्रदेश में चल रही विभिन्न पन विद्युत परियोजनाएं जिनमें एन.एच.पी. सी चमेरास्टेज–।,।।, तथा ।।। 540 मै0वाट, 300 मै0 वाट तथा 230 मै0 वाट जिला चम्बा तथा पार्बती स्टेज–।,।।, तथा ।।। 2051 मै0वाट, जिला कुल्लू एन.टी.पी.सी., कोलडैम 800 मै0वाट, जिला बिलासपुर एवं कड़छम वांगटू 1000 मै0 वाट जिला किन्नौर, एल अएन घ्वगन, 192 मै0वाट जिला कुल्लू तथा अन्य विद्युत परियोजना में हिमाचलवासियों को रोजगार प्रदान करनें के लिए विस्तृत रोजगार स्टेटस रिपोर्ट केन्द्रीय रोजगार कक्ष के स्तर पर निदेशालय द्वारा तैयार करने के उपरान्त सरकार को प्रेfषत की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश में लगे तथा लगाई जा रही नई औद्योगिक ईकाईयों में भी रोजगार कार्यालय ।रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना। अधिनियम, 1959 तथा अन्य श्रम कानूनों की पालना सुनिश्चित करने के बारे भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निदेशालय स्तर पर केन्द्रीय रोजगार कक्ष द्वारा मै0 हिन्दुस्तान लीवर लि0, मै0 गोदरेज इण्डिया लि0, मै0 विप्रो लि0, मै0 कैडिला हैल्थकेयर, एवं मै0 टोरैन्ट फारमास्युटिकलस लि0, एलकन लैबोरेटरीज़, विंगस् फार्मा इत्यादि आद्यौगिक ईकाईयों के अभिलेखों की निरिक्षण रिपोर्ट भी तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी सरकार की निति के अनुसार औद्योगिक ईकाईयों तथा पन–विद्युत परियोजनाओं मे 70प्रतिशत हिमाचलवासियों को रोजगार सुनिश्चित करने के बारे में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रोजगार बाजार सूचना

कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार स्थिति का विश्लेषण विभाग द्वारा दो वर्ष के अन्तराल में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में वैक्लपिक आधार पर किया जाता है।जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

अवधि त्रैमासान्त	नियोक्ताओं की संख्या		अनुमानित रोजगार	
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
त्रैमासान्त 9/03	3409	476	253225	51041
त्रैमासान्त 9/04	3492	492	245300	52974

सार्वजनिक क्षेत्र के पांच अंगों में त्रैमासान्त सितम्बर,2003 तथा सितम्बर,2004 में नियोक्ताओं की संख्या(नियो0 सेख्या) व अनुमानित रोजगार(अनु रोजगार):–

अवधि	केन्द्रीय सरकार		राज्य सरकार		अर्ध–सरकारी केन्द्रीय		अर्ध–सरकारी राज्य		स्थानीय निकाय	
त्रैमासान्त	नियो. संख्या	अनु रोजगार	नियो. संख्या	अनु रोजगार	नियो. संख्या	अनु रोजगार	नियो. संख्या	अनु रोजगार	नियो. संख्या	अनु. रोजगार
09/03	152	16885	2093	170786	571	16235	545	45411	48	3908
09/04	146	16105	2187	164121	587	16684	528	43859	49	3831

निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त सितम्बर,2003 व सितम्बर, 2004 में नियोक्ताओं की संख्या व अनुमानित रोजगार

अवधि त्रैमासान्त	अधिनियमित संस्थान 25 या अधिक कर्मचारी वाले		लघु संस्थान 10 से 24कर्मचारियों वाले	
	नियो. संख्या	अनु. रोजगार	नियो. संख्या	अनु. रोजगार
त्रैमासान्त 09/03	282	47255	194	3786
09/04	289	48979	203	3995

नोटः– उपरोक्त सूचना में जिला लाहौल–स्पिती के सितम्बर 1992 तक के आंकडे सम्मिलित किए गए हैं।

श्रम एवं रोजगार विभाग के अर्न्तगत बनाये जा रहे भवनों का विवरणः

श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश के अधीन वर्तमान में 105 कार्यालय कार्यरत है । इसमें से 19 कार्यालय कमशः क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय मण्डी, जिला रोजगार कार्यालय, चम्बा,नाहन तथा किन्नौर,श्रम अधिकारी कार्यालय मण्डी तथा रामपुर बुशैहर,श्रम निरीक्षक कार्यालय रामपुर बुशैहर, मण्डी,परवाणु, नालागढ, बद्दी, नाहन तथा पांवटा सहिब एवं उप रोजगार कार्यालय,रामपुर बुशैहर, नालागढ, भरमौर, व चिडगांव,श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक अधिकरण शिमला तथा धर्मशाला सरकारी भवनों में समायोजित है। इसके अतिरिक्त 23 कार्यालय कमशः जिला रोजगार कार्यालय कुल्लु, श्रम एवं रोजगार निदेशालय शिमला, श्रम निरीक्षक कार्यालय कुल्लु, अम्ब, सुन्दरनगर तथा उप–रोजगार कार्यालय पांगी, तीसा, अम्ब, सराहां, गोहर,बैजनाथ ,पालमपुर,देहरा,इन्दौरा, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, सुन्दरनगर,पुह, संगड़ाह,सुजानपुर टिहरा एवं राजगढ़ तथा सहायक निदेशक कारखाना शिमला विभागीय भवनों में कार्यरत है। इसके साथ–साथ प्रदेश के विभिन्न स्थानों में

स्थित कार्यालयों के लिए विभाग द्वारा विभागीय भवन बनवाने का कार्य आरम्भ किया है इनमें जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर,उना,नाहन,क्षेत्रीय रोजग़ार कार्यालय धर्मशाला, उप–रोजगार कार्यालय उदयपुर, सहायक निदेशक कारखाना, ऊना तथा श्रम निरीक्षक कार्यालाय धर्मशाला, ऊना एवं नाहन, श्रम अधिकारी कार्यालय धर्मशाला कार्यालयों का कार्य निर्माणाधीन है।

कार्यकुशलता बढाने के लिए कम्प्युटराईजेशनः–

विभाग के कार्य निष्पादन में कार्यकुशलता व पारदर्शिता लाने हेतू समस्त कार्यालयों को कम्प्युट्रीकृत किया जा रहा है। निदेशालय व क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, शिमला को कम्प्युट्रीकृत कर दिया गया है। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, शिमला में समस्त पंजीकृत आवेदकों के पंजीकरण रिकौर्ड कम्प्युटर पर चढा दिए गए हैं व नए पंजीकरण कम्प्युटर पर किये जा रहे हैं। द्वितीय चरण में शिमला जिला में समस्त रोजगार कार्यालयों को भी कम्प्युट्रीकृत किया जाएगा व साथ ही क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, धर्मशाला व मण्डी को भी कम्प्युट्रीकृत किया जाएगा। तत्पश्चात अन्य रोजगार कार्यालयों को भी कम्प्युट्रीकृत किया जाएगा। इससे पंजीकरण, पंजीकरण का नवीनीकरण, योग्य आवेदकों का सम्प्रेषण व रोजगार के आंकडों को संकल्न करने का कार्य अतयन्त सरल हो जाएगा। ऐसे ही श्रम व कारखाना खण्डों के कार्यालयों को भी चरणबद्ध रूप में कम्प्युट्रीकृत किया जाएगा।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष में पंजीकृत आवेदकों के रिकौर्ड को भी कम्प्युटर पर चढा दिया गया है। विभाग, एन0आई0सी0, शिमला से इस कक्ष हेतू जोब पोर्टल भी विकसित करवा रहा है। जिसके बनने के पश्चात निजी क्षेत्र के नियोक्ता, कुशल कामगारों को अपनी इच्छानुसार व बिना विलम्ब कक्ष से प्राप्त कर पायेगें।

4.9.Budget & Actual Expenditure Statement FIGURES
Demand No:27-Labour,Employment & Training.

S.No.	Head of Account	Sactioned Budget 2005-06		Actual Expenditure during 2005-2006	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN
1.	01-Labour,001-Direction & Administration, 01-Staff at the Hqrs.				
		5,00,000	33,57,000	4,80,108	33,60,042
2.	01-Labour,101-Industrial Relaltions, 01-Enforcement of Labour Laws.				
		5,50,000	70,88,000	3,02,204	71,34,679
3.	01-Labour,101-Industrial Relations, 03-Wage Board/				
		-	30,000	-	28,432
4.	01-Labour,102-Working Conditiions & Safety, 01-Inspectorate of Factories.				
		-	4,44,000	-	98,587
5.	01-Labour,103-General Labour Welfare, 01-Education				
		-	72,000	-	82,211
6.	02-Employment,001-Direction & Administration, 01-Staff at the Directorate of Employment.				
		-	21,35,000	-	21,11,788
7.	02-Employment,004-Research ,Survey & Statistics, 01-Collection of EMI				
		-	26,56,000	-	27,22,177
8.	02-Employment,101-Employment Services, 01-Extension Coverage of Employment Services.				
		16,00,000	2,28,37,000	17,16,371	2,34,09,985
9.	02-Employment,101-Employment Services, 02-Vocational Guidance & Employment Counselling.				
		-	6,73,000	-	6,55,787
10.	02-Employment,101-Employment Services, 03-University Employment Information & Guidance Bureau.				
		-	1,95,000	-	1,73,526
11.	02-Employment,101-Employment Services, 05-Special Employment Exchanges(Scheduled Castes)				
		-	2,46,000	-	2,54,244
	Total:		3,97,38,000	24,98,683	4,00,31,458

Centrally Sponsored Schemes (100%)

1.	02-Employment,101-Employment Services, 06-Special Employment Exchanges(Physically Handicapped)				
		-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

Major Works

1.	4250-Capital Outlay on Other Social Services, 00,201-Labour,01-Buildings				
		18,50,000	-	18,50,00	-
	TOTAL	18,50,000	-	18,50,000	-

BUDGET & ACTUAL EXPENDITURE STATEMENT RECONSILED FIGURE DEMAND NO-31-TRIBAL DEVELOPMENT

1.	01-Labour, 796-Tribal Area-Sub-Plan,01-Expenditure on inforcement of Labour Laws				
		1,00,000	2,73,000	8,998	2,61,971
2	02-Employment,796-Tribal Area Sub Plan, 01-Expenditure on Employmen Services				
		2,20,000	20,47,000	2,40,702	16,65,016
	TOTAL	3,20,000	23,20,000	2,49,700	19,26,987